

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024—फाल्गुन 11, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ-5-10-2022-साप्रवि-कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-689-(दो-1-18-2023), दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 23 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1149

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शैलेश सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार) पु. मु., भोपाल को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक तीन दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में स्वयं के उपचार हेतु राज्य सीमा से बाहर मुम्बई जाने हेतु कार्योंतर अनुमति प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 04-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त (अपराध) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 31 जनवरी 2024 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-1, नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त (अपराध) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. एफ 1-19-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2023 को संशोधित करते हुए मो. शाहिद अब्सार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति प्रदान करता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 34-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद् श्री जगदीश डावर, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नगरीय, इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2023 तक कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत शिमला जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----|--------------------|----------|
| 1. | श्री जगदीश डावर | — स्वयं |
| 2. | श्रीमती इन्दू डावर | — पत्नी |
| 3. | कु. जयश्री डावर | — पुत्री |
| 4. | कु. चित्रांशी डावर | — पुत्री |

(2) श्री जगदीश डावर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा), नगरीय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नगरीय, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जगदीश डावर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश डावर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024

फा. क्र. 794-इक्कीस-ब(एक)-2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
"9.	दतिया	श्रीमती शशि कांता वैश्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 794-XXI (B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1) "9.	(2) Datia	(3) Smt. Shashikanta Vaishya, Special Judge SC / ST (P. A.) Act, & I Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge, Datia."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2024

क्र. यूडीएच-3-0221-2023-अठारह-5.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27(5) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उक्त धारा के प्रवर्तन से छूट निम्न शर्त के अधीन प्रदान की जाती है।

“स्थल पर किया गया निर्माण, उस सीमा तक अनुमोदित माना जावेगा, जहाँ तक कि विकास योजना, या इस अधिनियम या तत्समय प्रकृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण नहीं होता हो।”

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. यूडीएच-3-0013-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3478-टी सी-20-इंदौर-उपां-नगानि-2023, दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कनाड़िया तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर.	342/4 342/5 342/6	0.2420 0.2460 0.2420	0.2420 0.2460 0.2420	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (स्वास्थ्य)
			कुल रकबा 0.7300	0.7300		

नोट —

1. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर है। अतः मार्ग निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रश्नाधीन स्थल एवं मार्ग के मध्य स्थित निजी भवन (अनाधिकृत कब्जा) के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत ही उक्त भूमि पर विकास मान्य होगा।
6. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

आनंद विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

क्र. 81-793295-2022-67.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में आनंद विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है :—

अनुसूची “एक”

- (1) आनंद विभाग

अनुसूची - "दो"
दिव्यांगजनों के लिए विन्हाकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम : आनंद विभाग

शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/स्वायत्त संस्थाएं/निकाय/विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं का नाम : राज्य आनंद संस्थान

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी नतीजे के कुल संयुक्त पद	सीधी नतीजे के द्वारा नये हूये पद	रिक्त पद (9-3a)	निहाकित पदों के लिए कुल संख्या योग (6)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5) विन्हाकित पद	नरें पद	रिक्त पद	नरें पद	वहरे और काम सुनने वाले (1.5%) विन्हाकित पद	नरें पद	रिक्त पद	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिनमें सेरेबल पाल्सी, कुछ योग युक्त, बीनाम, एसिड अटंक, पीडित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) विन्हाकित पद	नरें पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, बिन्हागवा, स्पीसिक लॉग डिसेबिलिटी और मानसिक बीनारी और बहु-बिक्लांग ता (1.5%) विन्हाकित पद	नरें पद	रिक्त पद	कुल योग पद (5+8+11+14)	कुल नरें पद (8+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति कर रक की जावेगी
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		28	17	11	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2		
	योग	28	17	11	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा डहेरिया, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. 263-1520577-2023-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी जिनका विवरण सारणी के कॉलम (2) में दिया गया है की अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम (3) में दर्शित अधिकारी को एवं कॉलम (2) तथा (3) के अधिकारी अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम (4) में दर्शित अधिकारी को लिंक अधिकारी नियुक्त करते हुए सारणी के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम		अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग, इन्दौर.	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक), प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन.	श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	इन्दौर संभाग, इन्दौर
02	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक), प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन.	श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग, इन्दौर.	श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	उज्जैन संभाग, उज्जैन
03	श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.	श्री अजय खरे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	ग्वालियर चंबल संभाग.
04	श्री अजय खरे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	श्री अनिल पंडित, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.	श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	सागर संभाग सागर.
05	श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.	श्री अनिल पंडित, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.	श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग, इन्दौर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	जबलपुर संभाग जबलपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06	श्री अनिल पंडित, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा.	श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर.	श्री संजय तिवारी (निरीक्षक), प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	रीवा संभाग, रीवा.
07	श्री संजय सीठा (निरीक्षक), प्रभारी असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल.	श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश मुख्यालय भोपाल.	श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल.

2. उपरोक्त सारणी के कॉलम (3) एवं (4) में दर्शित लिंक अधिकारी की सेवाओं को प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने हेतु रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश सक्षम प्राधिकारी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती एम., सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी 2024

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

पत्र क्र. 180-भू सर्वेक्षण-आबादी सर्वे-64384-2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33-2020-CLR-भू सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र.-भू-अर्जन-03-(अ-82) 2022-23-623.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) डिण्डौरी	(2) शहपुरा	(3) करौदी प.ह.नं. 41	(4) 0.0468	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.	(6) बिलगांव मध्यम परियोजना नहर कार्य हेतु.
कुल. . 0.0468					

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सारसडौली जलाशय

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 25 जनवरी 2024

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2023-24-638.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) कनवाही	(4) 0.411	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश.	(6) श्यामडीह-कनवाही मार्ग के किमी 3/2 में सोन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / कार्यपालन, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश / अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग शहडोल, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 फरवरी 2024

पत्र क्र. 133-प्रवा.-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—झिरिया 189

(घ) क्षेत्रफल—0.008 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/2/1/1	0.008

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बाणसागर क्योती नहर सिरमौर डिस्ट्रीब्यूटी अंतर्गत मुडियारी नहर के निर्माण” में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024

क्र. 153-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—बड़खरा 735

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा 735

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
384/2/1/1	0.400	0.110	अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल
384/3/1	1.892	0.130	अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल
निजी भूमि का योग . .	2.292	0.240	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 163-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—पड़खुरी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़खुरी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.033 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
3363/1	0.023	0.023	जगदीश पिता हीरामणि पटेल
3348	0.150	0.004	जनार्दन माता कलुआ 1/5, हिनी, बेसनी, गेंदूरी माता गंगी 3/5, राजेन्द्र बहादुर, हरिकेशव, बरिन्द्र पुत्र रामसिया 1/5.
3315	0.300	0.006	शमामकली बेवा मूरति पटेल 1/3, जगदीश प्रसाद पटेल, मुरति प्रसाद पटेल 1/3. जयचंद्र पटेल पिता मूरति प्रसाद पटेल 1/3
निजी भूमि का योग . .	0.473	0.033	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 14 फरवरी 2024

क्र. 177-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—पचोखर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पचोखर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.063 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
3187/1	0.071	0.063	रामलखन पिता सूर्यदीन पटेल
निजी भूमि का योग . .	0.071	0.063	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 193-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2022-23

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की सार्वजनिक सूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (7) वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना क्र एफ-12-2-2014- सात-2-1 दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14.11.2014 की कंडिका 11(1) के अनुसार 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि धारक (1) अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (2) रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (3) श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (4) शिवचरण पटैल पिता स्व. घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर के भूस्वामित्व भूमि जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण के लिये राज्य सरकार की इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय "मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर " के नाम से संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर के द्वारा क्रय किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में उचित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण किये जाने भू-अर्जन हेतु ग्राम रानीपुर तहसील अधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है।

अनुसूची

// आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण //

ग्राम-रानीपुर, प.ह.नं.- रानीपुर 05 रा.नि.मं.-लक्ष्मीपुर
तहसील- अधारताल, जिला-जबलपुर,

(क्षेत्रफल- 237.00वर्गमीटर (0.0237हेक्टेर))

क्र.	भूमिधरतामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा वर्ग मी.	अन्य संपत्ति	भौतिक संरचना
1	2	3	4	5	6	7
01	अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल	1) 21/1/4	270.00व.मी.	32.00 वर्ग मी.	-	-
02	रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल	(2) 21/1/2	300.00व.मी.	41.00 वर्ग मी.	-	-
03	श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल, योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल	(3) 21/1/1	300.00व.मी.	47.00 वर्ग मी.	-	टीन शेड
04	शिवचरण पटैल पिता स्व. घसीटे सिंह पटैल	(4) 21/1/3	220.00व.मी.	117.00वर्ग मी.	-	टीन शेड
	कुल 4	कुल 4 खसरे	1090.00व.मी.	237.00 वर्ग मी.	-	-

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितद्वंद्व कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (हाट बाजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. -02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 155

सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024

भूमि-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4 एवं 07
अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 27.07.2021 को किया जा चुका है। किन्तु प्रस्तुत एवार्डों में विसंगतियों के निराकरण हेतु दिनांक 27.07.2022 से 01 वर्ष की समयावधि की गई थी। विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका। म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014- भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड.) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा। (म0प्र0 राजपत्र भाग-1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील बहरी में महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना के तहत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-

1. भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे0में)	धारा-19 का 01 वर्ष समयावधि जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गई वृद्धि
1.	2	3	4	5	6	7
1.	मयापुर	बहरी	0.590	27.07.2022	26.07.2023	27.07.2023 से एक वर्ष की समयावधि की जाती है।
2.	अमरपुर	बहरी	2.187	27.07.2022	26.07.2023	
3.	परसवार	बहरी	2.406	27.07.2022	26.07.2023	
4.	शिवपुर(मरसरहा)	बहरी	3.248	27.07.2022	26.07.2023	

5.	शैरपुर	बहरी	1.369	27.07.2022	26.07.2023
6.	पुजौही	बहरी	0.868	27.07.2022	26.07.2023
7.	सरदा	बहरी	4.233	27.07.2022	26.07.2023
8.	पटेहरा कोठार	बहरी	0.312	27.07.2022	26.07.2023
9.	रोजहा	बहरी	0.952	27.07.2022	26.07.2023
10.	पथरौही	बहरी	0.617	27.07.2022	26.07.2023
11.	पुजौही	बहरी	0.093	27.07.2022	26.07.2023
12.	गोड़ाही	बहरी	1.820	27.07.2022	26.07.2023
13.	लौआ	बहरी	1.359	27.07.2022	26.07.2023
14.	अमडिहा	बहरी	1.166	27.07.2022	26.07.2023
15.	उमरिया	बहरी	0.657	27.07.2022	26.07.2023
16.	मयापुर	बहरी	0.259	27.07.2022	26.07.2023
17.	डढ़िया	बहरी	1.638	27.07.2022	26.07.2023
18.	डढ़िया	बहरी	1.203	27.07.2022	26.07.2023
19.	बदौला	बहरी	0.735	27.07.2022	26.07.2023
20.	बदौला	बहरी	0.928	27.07.2022	26.07.2023
21.	परवा	बहरी	0.362	27.07.2022	26.07.2023
22.	झरी	बहरी	2.586	27.07.2022	26.07.2023
23.	लौआ	बहरी	2.041	27.07.2022	26.07.2023

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के तहत शाखा/उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
- भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी बहरी/सिहावल से देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 06-अ-82-23-24-भू-अर्जन-परमण्डल-1792

बैतूल, दिनांक 14 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	परमण्डल	0.076	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)	इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अंजू, इमरत, अनंतराम, भीमराव, श्यामराव पुत्र मंसाराम, शांतीबाई पुत्री मंसाराम, वंदना पुत्री रामराव, नारायण, निरंजन, टेकचंद पुत्र ओझू, चम्पा, चंद्रकला पुत्री ओझू किराड़ सा. देह	472/1/1	0.280	0.074 (पक्का मकान एवं बागड़ा कवेल् की झोंपड़ी स्थित है)
2	फूलचंद व. धमाकर पिता हरीराम जाति किराड़ सा. देह	461/5	0.158	0.002
	योग	2	0.438	0.076

- 1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 73-अ-82-21-22-भू-अर्जन-24-1528

सागर, दिनांक 16 फरवरी 2024

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित शासकीय भूमियों पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकान इत्यादि) की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : आपचंद
4. पट. ह. नं.- : 109
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3820-355 वर्गमीटर

सरल क्रमांक	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	भूमि पर निर्मित मानधारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 3ड एवं ग के तहत प्रभावित कुटुंब
				झोपड़ी/कच्चाकबेलू/टिन शेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)	
1	2	3	4	5	6	7
1	म.प्र.शासन	958	सूरज सींग पिता राधे आदिवासी	आरसीसी,	28.05	निरंक
				पक्की दीवाल, चददर छाये,	64.5	
				पक्की दीवाल ऊपर बरसाती	54.18	
2	म.प्र.शासन	958	हल्लेभाई पिता मुरलीधर आदिवासी	कच्चा झोपड़ा	28	निरंक
3	म.प्र.शासन	958	राधिकारानी पति धनसीग आदिवासी	ईट की कच्ची दीवार कबेलू एवं सीमेंट शीट छाई	46.8	निरंक
4	म.प्र.शासन	972	हरप्रसाद पिता वृंदावन सेन	पक्का, गाटर फर्शी	26.33	निरंक
				प्रथम तल कबेलू	12.9	
				पक्की दीवाल चददर छाई	15	

5	म.प्र.शासन	972	रामदास पिता वृंदावन सेन	पक्का गाटर फर्शी	26.33	निरंक
				प्रथम तल कबेलू	12.9	
				पक्की दीवाल चद्दर छाई	15	
				कच्ची सार भूसाघर	98.55	
6	म.प्र.शासन	972	वृंदावन पिता रघुनाथ सेन	कच्चा मकान कबेलू	53.46	निरंक
7	म.प्र.शासन	972	प्रहलाद पिता वृंदावन सेन	पक्की दीवार शीट छाई	35.15	निरंक
				पक्की दीवाल चद्दर छाई	109.58	
				प्रथम तल कबेलू	23.04	
				पक्का, गाटर फर्शी	36	
8	म.प्र.शासन	972	अशोक पिता तरबर आदिवासी	कच्चा मकान सीमेंट शीट छाई	35.91	निरंक
9	म.प्र.शासन	972	राजेश पिता मोहन आदिवासी	पक्की दीवार चद्दर छाई	16.1	निरंक
10	म.प्र.शासन	972	देवी सींग पिता तरबर आदिवासी	कच्चा मकान चद्दर छाई	36.58	निरंक
11	म.प्र.शासन	979	तखत सींग पिता बुखे आदिवासी	कच्चा मकान सीमेंट शीट छाई	18.8	
12	म.प्र.शासन	979	ऊधम पिता तखत सींग आदिवासी	कच्चा मकान बरसाती छाई	27.2	निरंक
13	म.प्र.शासन	979	श्रीराम पिता परशराम आदिवासी	आर.सी.सी.	36.11	निरंक
14	म.प्र.शासन	979	परशराम पिता जयराम आदिवासी	कच्चा मकान सीमेंट शीट छाई	23.76	निरंक
				कच्चा मकान कबेलू छत	21.6	
				कच्चा मकान बरसाती छाई	24.19	
15	म.प्र.शासन	979	महेश पिता धनीराम आदिवासी	आर.सी.सी.	31.05	निरंक
				कच्चा झोपड़ी	17.2	
16	म.प्र.शासन	979	रतन पिता धनीराम आदिवासी	पक्की दीवार चद्दर छाई	28.14	निरंक
				कच्ची दीवार कबेलू छाये	25.6	
17	म.प्र.शासन	979	हल्ले पिता ठलू आदिवासी	कच्चा कबेलू	38	निरंक
				गाटर फर्शी	57.95	
18	म.प्र.शासन	979	देवेन्द्र पिता तखतसींग आदिवासी	पक्की दीवार बरसाती छाई	19.2	निरंक
				कच्ची दीवार कबेलू छाये	25.6	
19	म.प्र.शासन	979	रामप्रताप पिता भगवानसींग राजपूत	पक्की दीवार कबेलू	31.59	निरंक
				पक्का गाटर फर्शी	23.74	
20	म.प्र.शासन	979	राजकिशोर पिता भगवानसींग	पक्की दीवार सीमेंट शीट छाई	56.19	निरंक
21	म.प्र.शासन	979	भगवानसींग पिता अमरसींग	पक्की दीवार कबेलू	78.39	निरंक

22	म.प्र.शासन	979	कलू पिता ठलू आदिवासी	पक्की दीवार गाटर फर्सी	316.9	निरंक
				प्रथम तल कबेलू	316.9	
23	म.प्र.शासन	979	विश्राम पिता सोवत आदिवासी	पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये	27.72	निरंक
				पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये	55.125	
24	म.प्र.शासन	979	सिब्बू पिता गोरेलाल रजक	कच्चा मकान कबेलू	40.32	निरंक
25	म.प्र.शासन		पप्पू पिता सिब्बू	कच्चा मकान कबेलू	40.32	निरंक
26	म.प्र.शासन		वीरेन्द्र पिता सिब्बू	कच्चा मकान कबेलू	40.32	निरंक
27	म.प्र.शासन	979	रामचरन पिता सिब्बू रजक	आर.सी.सी.	31.5	निरंक
28	म.प्र.शासन	979	देवेश पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव	आर.सी.सी.	36.4	निरंक
29	म.प्र.शासन	979	नर्मदा पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव	पक्का मकान पिलर सामेट शीट छाई	94.08	निरंक
				पिलर सामेट बरसाती छाई	63.9	
30	म.प्र.शासन	979	राजकुमार पिता अमरसींग राजपूत	पक्की दीवार सीमेंट शीट छाई	59.22	निरंक
31	म.प्र.शासन	980	बेबी बाई पति रामकृष्ण राजपूत	पक्का मकान गाटर फर्सी	43.2	निरंक
				पक्की दीवार सीमेंट शीट छाई	37.8	
				पक्की दीवार सीमेंट शीट छाई	56.52	
32	म.प्र.शासन	980	मनोज पिता खुमान अहिरवार	आर.सी.सी.	28.38	निरंक
33	म.प्र.शासन	980	सोवत पिता फुल्ले अहिरवार	आर.सी.सी.	31.39	निरंक
34	म.प्र.शासन	980	अनिल पिता सोवत अहिरवार	पक्की दीवार कबेलू	40	निरंक
				कच्चा मकान बरसाती छाई	30	
35	म.प्र.शासन	1037	सुरेन्द्र, देबेन्द्र पिता मगोले अहिरवार	गाटर फर्सी प्रथम तल कबेलू छाये	42.43	निरंक
36	म.प्र.शासन	1037	रामा पिता नन्नूराम अहिरवार	पक्का मकान गाटर फर्सी	31.82	निरंक
				पत्थर की दीवार फर्सी छाई	7.75	
37	म.प्र.शासन	1037	रुकमन पति चरन अहिरवार	कच्चा मकान शीट छाई अंदर छाप	25.2	निरंक
				कच्चा मकान आधा छपपर टूटा	33.8	
38	म.प्र.शासन	1037	अंतू पिता परसादी अहिरवार	कच्चा मकान कबेलू छाये	37.82	मोहन
				कच्चा मकान चद्दर छाई	21.7	
39	म.प्र.शासन	1037	गनेश पिता छःकोड़ी धानक	गाटर फर्सी	17.02	निरंक
				पक्की दीवार कबेलू (अंग्रेजी)	11.96	
				पक्की दीवार कबेलू	12.88	
40	म.प्र.शासन	1037	देशराज पिता गनेश धानक	गाटर फर्सी	17.02	निरंक
				पक्की दीवार कबेलू (अंग्रेजी)	11.96	
				पक्की दीवार कबेलू	12.88	

41	म.प्र.शासन	1037	गौरीशंकर पिता फुल्ले धानक	कच्चा मकान कबेलू छाये	49.56	निरंक
				कच्चा मकान सामेंट शीट छाई	26.88	
42	म.प्र.शासन	1037	हीरालाल पिता फुल्ले धानक	पक्का मकान गाटर फार्सी	16.74	निरंक
				कच्ची दीवार कबेलू छाये	21.7	
				कच्ची दीवार बरसाती छत	11.16	
43	म.प्र.शासन	1037	जालम पिता धनजू धानक	पक्का मकान गाटर फार्सी	28.56	निरंक
				कच्ची दीवार सीमेंट शीट छाई	27.2	
44	म.प्र.शासन	1037	भलू पिता परसादी धानक	कच्चा मकान फर्सी छाई	18.55	निरंक
				कच्चा मकान बरसाती छाई	16.96	
45	म.प्र.शासन	1037	मगन पिता डोमन धानक	कच्चा मकान कबेलू	43.8	निरंक
46	म.प्र.शासन	1037	हीरालाल पिता कलू धानक	कच्चा मकान चददर छाई	40.87	निरंक
47	म.प्र.शासन	1037	मोती पिता खनजा अहिरवार	कच्चा मकान कबेलू	38.4	निरंक
48	म.प्र.शासन	1037	घनश्याम पिता परसादी अहिरवार	पक्का गाटर फर्सी	56.64	निरंक
				प्रथम तल कबेलू	20.65	
				आर.सी.सी. (पंहुटी)	69.85	
				आर.सी.सी.	45.39	
49	म.प्र.शासन	1037	कुंजी पिता मिहीलाल अहिरवार	पक्की दीवार चददर छाई	15.93	निरंक
				आर.सी.सी.	38.54	
50	म.प्र.शासन	979	अशोक पिता बल्देव अहिरवार	पक्का गाटर फर्सी	60	निरंक
51	म.प्र.शासन	980	सचिन पिता अशोक अहिरवार	गाटर फर्सी	78.28	निरंक
52	म.प्र.शासन	979	राजकुमार पिता मोहनसिंग आदिवासी	कच्चा मकान कबेलू	34.2	निरंक
53	म.प्र.शासन	1037	पंचायत भवन	पक्का मकान चददर छाई	22.2	निरंक
योग:-				पक्का मकान	5.39	निरंक
					3820.355	

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार आर्थिक अनुदान एवं अन्य सहायतायें स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर
 - (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
 - (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 - (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
 - (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन. (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 है. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेग
- 6-अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/03/2024 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 179-भू-अर्जन-2023-24

सीधी, दिनांक 15 फरवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57 सड़क निर्माण कार्य का भाग है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	अमिलई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	अमिलई
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 1.480 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा	कुल अर्जित रकवा	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	99	5.650	0.960	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57
02	430	0.040	0.040	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57
03	431	0.230	0.230	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57
04	433	0.220	0.180	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57

क्र.	असरा नम्बर	कुल रकवा	कुल अर्जित रकवा	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05	435	0.150	0.010	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57
06	436	0.120	0.060	म.प्र. सड़क विकास निगम लि० शहडोल (म.प्र.)	रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.-57
कुल योग		6.410	1.480		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 676-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर /ग्राम - बड़खेरा
- (घ) क्षेत्रफल- 1.4100 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	52/1	0.1830
2	51	0.0150
3	50/2	0.0060
4	50/3	0.0500
5	55/1	0.2160
6	55/2	
7	55/3	
8	46/1	0.0810
9	46/2	
10	46/3	
11	45/1	0.0090
12	45/2	
13	45/3	
14	35	0.0370
15	57	0.0040
16	34	0.0520
17	32	0.0320
18	30/1	0.1410
19	31	
20	29	0.0040
21	27/1/1	0.0250
22	27/1/2	0.2440
23	27/2	
24	27/3	
25	27/4	
26	182	0.0020
27	183	0.0060
28	188/2/3/1/1	0.0270
29	3	0.1350
30	2/2	0.0260
31	2/4	0.0470
32	190	0.0680
	कुल योग :-	1.4100 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 677-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - करहीखुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 1.6130 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	77/1/2	0.0160
2	63/2/2	0.0700
3	62/3	0.0050
4	65/1/3	0.1830
5	64/1/3	0.0210
6	108/2	0.0020
7	89/1	0.0160
8	90	0.0040
9	79/2	0.1140
10	68	0.1450
11	45	0.0450
12	77/3	0.0050
13	111	0.0160
14	112	0.1070
15	77/1/1	0.0150
16	78/1/1	0.0050
17	108/1	0.0120
18	71/2	0.0380
19	65/2/2	0.1560
20	64/2/2	0.0260
21	63/2/1	0.0250

22	63/4	0.0310
23	62/4	0.0040
24	63/1	0.0990
25	80	0.1220
26	81	0.0090
27	109	0.0100
28	110	0.0300
29	248	0.1130
30	250	0.0950
31	251	0.0180
32	67	0.0560
	कुल योग :-	1.6130हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 678-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर /ग्राम - पतेरी
- (घ) क्षेत्रफल- 1.7060 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	106/3	0.0850
2	107/2	0.0710
3	107/3	0.0540
4	108/2	0.0090
5	109/1	0.0050
6	109/2	0.0160
7	109/3	0.0030
8	110/1	0.0330
9	110/2	0.0330
10	148	0.0880
11	88	0.0730
12	87/1/1	0.0430
13	87/1/2	0.0730
14	87/2	0.1540
15	86	0.0780
16	90/2	0.0150
17	91/2	0.0280
18	92/1	0.0660
19	92/2	0.0660
20	14/1	0.0750
21	14/2/1	0.1230
22	14/2/2	0.0100
23	17/2	0.0030
24	15/1/2	0.0050
25	15/2	0.0020
26	18	0.0730
27	19/3	0.0010
28	20/1	0.1110
29	20/2	0.1100
30	21	0.1670
31	33	0.0070
32	32	0.0260
कुल योग :-		1.7060 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 679-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - उरदान

(घ) क्षेत्रफल- 2.9815 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	15/1/2	0.0140
2	16	0.0080
3	18	0.0670
4	19	0.1140
5	20/1/2	0.0285
6	27	0.1170
7	28	0.2170
8	234	0.0080
9	235/1	0.0540
10	235/2	0.0540
11	226	0.0870
12	221	0.1100
13	220	0.1260
14	265	0.1260
15	264	0.0080
16	263/1/1	0.1220
17	263/1/2	0.0620
18	263/1/3	0.0590
19	263/2/1	0.0200
20	262/1	0.0160
21	476	0.1520
22	475	0.0080
23	474	0.1180
24	473	0.0080
25	472	0.0030

26	463/1	0.0430
27	463/2	0.0500
28	462/1	0.0350
29	462/2	0.0350
30	462/3	0.0150
31	462/630	0.0520
32	538	0.0050
33	537	0.0010
34	460/1	0.0550
35	461/1	0.0120
36	458/1	0.0100
37	459	0.1100
38	440	0.1100
39	432	0.0010
40	430	0.0420
41	412	0.0180
42	413	0.0240
43	429	0.0020
44	414	0.0360
45	229	0.1020
46	415	0.0420
47	416	0.0790
48	417/1	0.0860
49	417/2	0.0600
50	148	0.0020
51	616	0.1380
52	431	0.1100
कुल योग :-		2.9815 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 680-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - कोलगवां

(घ) क्षेत्रफल- 1.7610 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	54/2	0.3780
2	48	0.0100
3	49	0.1800
4	51/2	0.1420
5	47	0.2070
6	46	0.1040
7	45	0.1180
8	29/2	0.1550
9	30/2	0.0320
10	43/1	0.0700
11	43/2	0.0350
12	42	0.2550
13	41	0.0080
14	39	0.0030
15	50	0.0120
16	38	0.0520
	कुल योग :-	1.7610हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांकला माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 681-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - चौथार

(घ) क्षेत्रफल- 1.0590 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	113	0.1420
2	124	0.0230
3	123	0.0400
4	118	0.0640
5	119/1	0.0500
6	119/2	
7	110/2	0.0090
8	110/3	
9	103/1	0.0630
10	103/2	
11	102	0.0220
12	97	0.0420
13	98	0.0330
14	99/1	0.0100
15	99/2	
16	96	0.0310
17	93	0.0060
18	94	0.0500
19	80/1/1	0.1570
20	80/1/2	
21	80/2	
22	79/1	0.0140
23	65	0.0390
24	66	0.0330

25	71	0.0160
26	70	0.0270
27	69	0.0140
28	67	0.0890
29	68/2	0.0180
30	76	0.0160
31	122/1	0.0510
32	122/2	
कुल योग :-		1.0590 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 682-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर /ग्राम - नौगवां
- (घ) क्षेत्रफल- 0.4730 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	215	0.0160
2	195	0.1170
3	196	0.0440
4	204	0.0680
5	207	0.0320
6	203	0.0320
7	202/1	0.0600
8	202/2	0.0320
9	201/2	0.0720
कुल योग :-		0.4730 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 683-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पपरेगा

(घ) क्षेत्रफल- 2.1990 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	299	0.0420
2	298	0.0010
3	297	0.0730
4	294	0.0010
5	293	0.0520
6	291	0.0560
7	292	0.0090
8	290	0.0070
9	287	0.0010
10	360	0.0140
11	267	0.0140
12	261/1	0.0010
13	260	0.0400
14	259/1	0.0120
15	416	0.0100
16	418	0.0010
17	419	0.0620
18	421	0.0260
19	422	0.0450
20	413	0.0340
21	411	0.0060
22	412	0.0100
23	404	0.0140
24	405	0.0100

25	400	0.0430
26	395	0.0010
27	399	0.0370
28	398	0.0070
29	384	0.0180
30	392	0.0030
31	390	0.0080
32	389	0.0470
33	391	0.0080
34	378	0.0020
35	377	0.0250
36	355	0.0070
37	356	0.0010
38	376	0.0330
39	375	0.0100
40	371	0.0060
41	369	0.0210
42	370	0.0100
43	368	0.0060
44	367	0.0160
45	364	0.0250
46	365	0.0020
47	520	0.0370
48	525	0.0180
49	524	0.0100
50	522/1	0.0250
51	522/2	0.0250
52	523/2	0.0010
53	539/1	0.0140
54	539/2	0.0130
55	540/1	0.0150
56	540/2	0.0150
57	543/1	0.0100
58	542/1	0.0190
59	542/2	0.0180
60	541/1	0.0130
61	541/2	0.0120
62	552/1	0.0050
63	552/2	0.0080
64	551	0.0080
65	546/1	0.1250
66	547 546	0.0140

67	548/1	0.0500
68	549	0.0030
69	628	0.0350
70	629	0.0050
71	627	0.0100
72	626	0.0210
73	616	0.0180
74	615	0.0020
75	613	0.0040
76	614	0.0540
77	612	0.0470
78	604	0.0520
79	605	0.0010
80	717	0.0530
81	718	0.0010
82	716	0.0460
83	715	0.0680
84	714	0.0140
85	713/1	0.0220
86	713/2	0.0210
87	712/1	0.0190
88	712/2	0.0180
89	711/1	0.0240
90	711/2	0.0240
91	710/1	0.0050
92	710/2	0.0050
93	709/1	0.0010
94	789	0.0250
95	788	0.0120
96	790	0.0240
97	787/1	0.0030
98	785	0.0610
99	784/1	0.0050
100	784/2	0.0050
101	783	0.0370
102	782	0.0070
103	781	0.0010
104	780	0.0520
105	779	0.0330
106	778	0.0190
107	732/1	0.0050
108	732/2	0.0050
	कुल योग :-	2.1990 है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 684-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- उचेहरा
 (ग) नगर /ग्राम - कुलपुरा
 (घ) क्षेत्रफल- 1.5057 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	709	0.1847
2	710	0.0750
3	711	0.1000
4	712	0.0890
5	723	0.0250
6	719	0.0740
7	718	0.0500
8	717	0.0150
9	716	0.1130
10	737	0.0180
11	739/1	0.2240
12	739/2	
13	740/1	0.1700
14	740/2	
15	670/1	0.1870
16	670/1/76/5/1	
17	670/2	
18	670/2/1	

19	669/1	0.0870
20	750	0.0190
21	751	0.0750
	कुल योग :-	1.5057हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के अंतर्गत कुलपुरा सब माइनर निर्माण हेतु।
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 711-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - लगरगवां

(घ) क्षेत्रफल- 1.2370 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	657/1/2	0.0020
2	657/1/3	0.0030
3	657/1/4	0.0350
4	657/1/5	0.0130
5	658	0.0400
6	656	0.1100
7	655	0.0050
8	671	0.0210
9	659	0.0400
10	670	0.0420
11	672	0.0500
12	673	0.0350
13	654	0.0550
14	653	0.0300
15	674	0.0680
16	688	0.0550
17	690	0.0520
18	689	0.0400
19	691/1	0.0090
20	691/2	0.0090
21	692	0.0320
22	697/2	0.0060

23	720	0.1100
24	719	0.0080
25	718/1	0.0140
26	718/2	0.0200
27	718/3	0.0140
28	727	0.0200
29	728	0.0200
30	716/1	0.0080
31	716/2	0.0140
32	716/3	0.0110
33	714/1	0.0050
34	607	0.0060
35	722	0.0150
36	729/2	0.2050
37	715/1	0.0020
38	715/2	0.0050
39	719	0.0080
योग -		1.2370

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 712-भू-अर्जन-2024

चूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (स.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - बांधी मौहार

(घ) क्षेत्रफल- 11.7038 हे०

क्र०	खासरा नं.	अर्जित रकवा
1	1900/2/2/2	0.2800
2	1808/2/4/1/4	0.0120
3	1808/1/2/2	0.0120
4	1739/2	0.0900
5	1738	0.0200
6	1737	0.2050
7	1759/1/2	0.0140
8	1760/1	0.0300
9	1441	0.0270
10	1439	0.0140
11	1444	0.0100
12	1448	0.0080
13	1458	0.1230
14	1334/1953/3/1	0.0630
15	1121/2/1/2	0.0930
16	1122/2/2/1/2	0.2170
17	479/2	0.3280
18	479/3/1	0.0010
19	479/3/2	0.0030
20	479/3/3	0.0040
21	479/3/4	0.0060

22	481/1/3/2/3	0.0200
23	479/4	0.0280
24	481/1/1/2/1	0.0360
25	481/1/1/2/2	0.1390
26	481/1/3/2/1	0.0200
27	481/1/3/2/4	0.0070
28	481/2/1	0.1600
29	481/2/2	0.0980
30	482/2	0.0120
31	600	0.0140
32	590/1/2/2	0.2320
33	1122/2/2/1/1	0.1140
34	1159/1	0.0120
35	1159/2/2	0.0040
36	289/1/1	0.3390
37	289/1/2	0.1680
38	288/1/2	0.1470
39	288/1/1	0.1100
40	267/2/1/1	0.0160
41	267/2/1/2	0.0160
42	267/2/1/3	0.0160
43	267/2/1/4	0.0160
44	267/5	0.0160
45	257/2	0.0770
46	207	0.0090
47	208	0.0480
48	209	0.0080
49	210	0.0320
50	211	0.0480
51	236/1/1	0.0150
52	236/1/2	0.0150
53	236/2	0.0150
54	236/3	0.0150

55	41	0.0100
56	35/2	0.0650
57	35/3	0.0450
58	36/2	0.0200
59	1443/2	0.0420
60	42	0.1280
61	242	0.1530
62	241	0.0840
63	243	0.2910
64	251/1	0.2240
65	251/2	0.0910
66	212	0.0400
67	254/2	0.0160
68	254/3/1	0.0620
69	254/3/2	0.0640
70	256/2	0.0300
71	259/1	0.0630
72	259/3	0.0690
73	260/1/1	0.0480
74	260/1/2	0.0210
75	260/1/3	0.0270
76	260/2/1	0.0360
77	260/2/2	0.0450
78	297/1/1/3	0.0750
79	297/3/2	0.0310
80	297/3/3	0.1590
81	296/2/3	0.0480
82	296/3/2	0.0360
83	295/2	0.0900
84	294/1/2/1	0.1220
85	294/2/2/1	0.1260
86	294/1/2/2/1	0.1260
87	294/1/3/2	0.0800

88	461/2/1	0.2540
89	462	0.0560
90	464/1	0.0540
91	470/1	0.0360
92	470/2	0.0430
93	471/1	0.0650
94	471/2	0.1600
95	253/1/1/1	0.1570
96	1157/1	0.0880
97	1157/3	0.0960
98	1136	0.0580
99	1135	0.0070
100	1122/2/2/2	0.0300
101	474/1/1/2/1/1/1	0.0420
102	474/1/1/2/1/2	0.0980
103	474/1/1/2/2	0.1120
104	474/2/2/2/1/1	0.0600
105	474/2/2/2/2	0.0620
106	474/2/2/2/3	0.0660
107	1361/1	0.0080
108	1361/2	0.0080
109	1361/3/2	0.0080
110	1363	0.1020
111	1358/2	0.1420
112	1354	0.1200
113	1352/2/2	0.0670
114	1461/2	0.0150
115	1462	0.0850
116	1485/1/2/2	0.0480
117	1485/2/2	0.0310
118	1487	0.0220
119	1486	0.0070
120	1488/2/2	0.0910
121	1489/2	0.0440

122	1442	0.0780
123	1346/1/2	0.1580
124	1440/2/2	0.1000
125	1440/2/3/1/1	0.0340
126	1440/2/3/2	0.0320
127	1440/2/7/1	0.0100
128	1758/1/2/2/2	0.1340
129	1758/2/2/2/2	0.1200
130	1748/2/2	0.0210
131	1747/2/2	0.0040
132	1723/2	0.1800
133	1724/2	0.0120
134	1725/1/2	0.0580
135	1725/2/2	0.0520
136	1807/1	0.0540
137	1807/2/2/2	0.0520
138	1807/3/2/2/1	0.0500
139	1809/1/1/1/1/2	0.0040
140	1809/1/1/1/4	0.0840
141	1809/1/1/1/2	0.0040
142	1809/2/1/2	0.0500
143	1809/2/4/1/2/2	0.0840
144	1809/2/2/2	0.0680
145	1809/2/3/2	0.0520
146	1809/2/5/1/2	0.0540
147	1809/2/6/2	0.0560
148	1809/2/7/2/2	0.0980
149	1811/2/2	0.3360
150	1902/5/2	0.0220
151	1901/2/1/2	0.1570
152	1901/2/2/2/2	0.0450
153	591/2	0.0160
154	590/1/2/2/1	0.1700
155	590/2/2	0.2040

156	601/2/1	0.1680
157	601/2/2/2	0.1998
158	602/2	0.1680
159	483/2	0.0120
160	480/2	0.0120
योग -		11.7038

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 713-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर /ग्राम - चौथहा
- (घ) क्षेत्रफल- 1.5360 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	24	0.0090
2	25/1	0.1580
3	29/1	0.0660
4	29/2	0.1450
5	30	0.0290
6	20/2	0.0080
7	19/1	0.2130
8	18/1	0.0010
9	18/2	0.0040
10	17/1	0.0150
11	16	0.1830
12	6/1/1/1	0.2460
13	6/1/1/2	
14	6/1/2	
15	6/2/1	0.1760
16	6/2/2/1	0.0260
17	6/2/2/2	
18	3/2	0.0130
19	4/2	0.2160
20	5/1/1	0.0280
21	5/1/2	
	योग -	1.5360

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 714-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - उमरी

(घ) क्षेत्रफल- 1.2080 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	102/1	0.0600
2	102/2	0.1780
3	102/3	0.0180
4	102/4/1	0.1260
5	102/4/2	
6	107/1	0.0020
7	107/3/1	0.0130
8	107/3/2	
9	108/1	0.0300
10	108/2	0.0700
11	108/380/2	0.0130
12	122/1/1/1/4	0.0090
13	122/2/1	0.0470
14	122/2/2	0.0700
15	35/1/1	0.0080
16	35/1/2	0.0540
17	35/1/3	0.0580
18	36	0.0020
19	37/1	0.0030
20	37/2	0.0010
21	39/1	0.0730

22	39/2	0.0020
23	40	0.0130
24	41/1	0.0130
25	41/2	0.0030
26	34/1/1	0.0140
27	34/1/2	0.0430
28	34/1/3	0.1100
29	7/1	0.0050
30	362	0.1470
31	277	0.0230
योग -		1.2080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 715-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - मतरी बरमेन्द्र

(घ) क्षेत्रफल- 2.1750 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	3	5
1	40	0.0490
2	44	0.0360
3	45	0.0030
4	47	0.0290
5	48	0.0050
6	43	0.0120
7	42	0.1100
8	41	0.0070
9	27	0.0470
10	26	0.0110
11	170/130	0.0360
12	168/128	0.0730
13	166/1/1/2	0.0630
14	166/126/2	0.0550
15	165/1/1/2	0.0120
16	175/135	0.0560
17	176/136	0.0590
18	177/137	0.0470

19	243/203	0.0080
20	245/205	0.0010
21	242/202/1	0.0280
22	246/206	0.0730
23	240/200	0.0580
24	289/247	0.0360
25	285/243	0.0220
26	286/244	0.0030
27	287/245	0.0040
28	377/1/1	0.0070
29	377/1/2	0.0070
30	376/1	0.0140
31	376/2	0.0880
32	375	0.0050
33	374	0.0240
34	370/1	0.1490
35	370/2	0.0270
36	367	0.0700
37	371	0.0160
38	358	0.0800
39	359	0.0150
40	357	0.0070
41	356	0.0050
42	434/390	0.0010
43	438/1	0.0230
44	438/2	0.0230
45	428/1	0.0010
46	439/395	0.0110
47	437/1	0.0030
48	437/2	0.0410
49	436/1	0.0020

50	444/400/1	0.0050
51	443	0.0440
52	442/1	0.0030
53	445/1	0.0270
54	445/2	0.1300
55	470/426	0.0440
56	473/429/1	0.0060
57	469/1/1	0.0050
58	469/1/3	0.0030
59	469/2	0.0060
60	469/425/3/1	0.0450
61	469/425/3/2	0.0370
62	469/425/4	0.0840
63	469/425/5	0.0800
64	472/428/1	0.0060
65	433	0.0880
योग --		2.1750

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 716-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- उचेहरा
- (ग) नगर /ग्राम - लगरगवां
- (घ) क्षेत्रफल- 0.8420 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	40	0.0280
2	41	0.0140
3	44/2	0.1320
4	44/3	0.0730
5	45/3	0.0080
6	48	0.0480
7	49/1	0.0140
8	482	0.0030
9	483	0.0060
10	476	0.0800
11	475	0.0080
12	474	0.0660
13	470	0.0010
14	471	0.0730
15	459	0.0030
16	468	0.0250
17	467	0.0230
18	466	0.0070
19	465/2	0.0180
20	465/3/1	0.0840
21	465/3/2/2	0.0050
22	465/3/2/3	0.0210
23	465/3/2/4	0.0320
24	465/3/2/5	0.0550
25	464/3/2/5	0.0110
26	477	0.0010
27	2	0.0030
योग -		0.8420

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 717-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - भरहुत

(घ) क्षेत्रफल- 9.8970 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	97	0.0150
2	96/1/1	0.0060
3	96/1/2	0.0080
4	96/2	0.0080
5	95/1/2	0.0610
6	95/1/3	0.0560
7	95/2	0.1230
8	93	0.0370
9	92	0.0380
10	89	0.0370
11	90	0.0360
12	75/1	0.0210
13	75/2	0.0340
14	76	0.0350
15	70/1/1	0.0390
16	70/1/2	0.0390
17	70/1/3/1/2	0.0390
18	70/2	0.0580
19	69	0.0100
20	68	0.0730
21	58/1	0.0560
22	58/2/3	0.0560
23	59/1	0.0630
24	59/2	0.0560

25	50/2	0.0040
26	45	0.0520
27	46	0.0150
28	44	0.0560
29	43/1	0.0160
30	43/2/1	0.0310
31	43/2/2	0.0080
32	31/1/1/2	0.0100
33	31/1/2	0.1100
34	31/1/3	0.1450
35	31/2	0.0590
36	31/3	0.1970
37	28/1/2/2	0.1900
38	27/1	0.1980
39	27/2	0.1170
40	26	0.0290
41	24	0.0570
42	23	0.0540
43	146/1	0.0860
44	146/2	0.0060
45	147	0.0880
46	148	0.0080
47	145	0.0880
48	144	0.4250
49	176/1/1/1	0.1760
50	176/1/1/2	0.0280
51	176/1/2	0.1760
52	191/1	0.0850
53	191/2	0.0560
54	190/1	0.0500
55	190/2/1	0.0570
56	190/2/2	0.0100
57	188/4	0.0200
58	189/2/1	0.0150
59	189/2/3	0.0530
60	187/1	0.0180

61	193/1	0.1740
62	193/2	0.0350
63	275/1	0.0070
64	275/2	0.1500
65	272/1	0.0050
66	272/2	0.0170
67	272/3	0.0190
68	272/4	0.0200
69	272/5	0.0200
70	267/1	0.0800
71	267/2	0.0200
72	267/3	0.0700
73	264/2	0.0150
74	263	0.0560
75	268	0.0220
76	810	0.0200
77	812	0.0380
78	777/1/1	0.0090
79	648	0.0520
80	647	0.0900
81	646	0.0900
82	645	0.0660
83	644	0.0300
84	643/1	0.0600
85	643/2	0.0600
86	642/2	0.0710
87	642/3	0.0710
88	774	0.0300
89	1053	0.0720
90	1054	0.0180
91	1055/1	0.0800
92	1055/2	0.0800
93	1056/1	0.0950
94	1056/2	0.1100
95	1056/3	0.1100
96	1059	0.0450

97	1060	0.0100
98	1061/2	0.1300
99	1062/2	0.1250
100	1063/2	0.0120
101	1064/1	0.0970
102	1064/2	0.0960
103	1064/3	0.0960
104	1057/1	0.0200
105	1052	0.0550
106	1017/1	0.0100
107	1015/2	0.2500
108	91	0.0150
109	77	0.0330
110	47	0.0100
111	194/1	0.0060
112	194/2	0.0100
113	194/3	0.0100
114	274	0.1100
115	261	0.0800
116	349	0.1390
117	328/2/1	0.0080
118	329/2/1	0.0560
119	329/3/2	0.0560
120	329/1/1	0.0670
121	329/1/2	0.0750
122	329/2/2	0.0150
123	329/2/3	0.0630
124	329/3/1	0.0780
125	329/4	0.0870
126	328/4	0.0340
127	694	0.0660
128	693	0.2030
129	650/2/3	0.0650
130	650/2/2	0.0610
131	650/1/1	0.1060
132	650/2/5	0.0060

133	563	0.0050
134	813/1	0.0150
135	813/2	0.0160
136	778/2/4	0.0290
137	778/2/2/1	0.0100
138	778/2/1/2	0.0510
139	778/2/1/1	0.0390
140	778/1	0.0800
141	780	0.0020
142	782/2	0.0040
143	781	0.0500
144	785/2	0.0030
145	786/2	0.0020
146	785/1	0.0700
147	784	0.0040
148	791/1/2	0.0180
149	791/1/1	0.0180
150	791/2	0.0750
151	794/1	0.0120
152	796	0.0240
153	795	0.0400
154	797/2	0.0090
155	875/2	0.0020
156	875/1	0.0240
157	876/2	0.0240
158	876/1	0.0380
159	889	0.2510
160	890	0.0080
161	892/2	0.1680
162	1009	0.1370
163	1010/1/2	0.1420
164	1010/1/1	0.1270
165	1010/2	0.2360
योग-		9.8970

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 718-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - चौरा

(घ) क्षेत्रफल- 1.9840 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	7	0.0280
2	57/1	0.1050
3	57/2	0.1050
4	57/3/1	0.0110
5	57/3/2	0.0110
6	57/3/3	0.0120
7	57/3/4	0.0120
8	58/3/1	0.0030
9	59/3/1	0.0040
10	59/3/2	0.0040
11	59/3/3	0.0040
12	59/3/4	0.0040
13	54/2	0.1220
14	85/1	0.1440
15	85/2	0.1440
16	47/1	0.0800
17	47/2	0.0050
18	48	0.1440

19	49	0.2160
20	36	0.0200
21	37	0.0380
22	33	0.0480
23	25	0.1500
24	35	0.0250
25	32/1	0.0870
26	32/2	0.0490
27	29/1	0.0140
28	29/2	0.0140
29	30	0.1630
30	55	0.1210
31	56	0.0970
निजी खाता भूमि योग रकवा - 1.9840 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 719-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - चनपुरवा

(घ) क्षेत्रफल- 2.7720हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	41	0.0080
2	42	0.4370
3	42/210	
4	43	0.0280
5	44/1/1	0.1120
6	44/1/3	0.0270
7	44/2	0.3200
8	46/1/1/2	0.1520
9	46/1/1/3	0.1920
10	46/2	0.1040
11	47/1/3	0.0060
12	55/1	0.0290
13	55/2	
14	55/3	
15	56/1	1.1080
16	56/2	
17	56/3	
18	58/1/2/2	0.0880

19	58/1/2/3	0.0880
20	80/8/1	0.0120
21	80/8/2	
22	80/8/3	
23	81/8/1	0.0200
24	81/8/2	
25	81/8/3	
26	51/2	0.0210
27	59	0.0120
28	56/224/2	0.0080
निजी खाता भूमि योग रकवा - 2.7720हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131)की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 720-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - चौरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 1.7250हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	28/1/1	0.1670
2	16/1	0.0010
3	13/60/1/1	1.1030
4	13/60/1/2	
5	13/60/1/3	
6	13/1/1/1	0.3230
7	13/2/1	
8	14/1	0.0590
9	14/2	0.0580
10	15	0.0020
11	10/59	0.0080
12	24/2/2/2	0.0040
निजी खाता भूमि योग रकबा - 1.7250हे०		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131)की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 721-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - बराकला

(घ) क्षेत्रफल- 8.176०हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	757	0.0040
2	758	0.0700
3	759	0.1380
4	760	0.0280
5	760/2	0.2160
6	761	0.0200
7	762	0.0400
8	763/1	0.0040
9	763/2	
10	764	0.1620
11	770/1	0.1630
12	770/2	0.1630
13	771/1/1	0.2650
14	771/1/2	
15	771/2/1/1	
16	771/2/1/2	
17	771/2/2	0.0720
18	772	0.2180
19	753/1	0.1750
20	753/2/1	0.1620

21	753/2/2/1	0.1620
22	753/2/2/2	
23	754	0.0480
24	751/1	0.2360
25	751/2	0.0120
26	750/1	
27	750/2	0.0200
28	750/3	
29	773/1/2/1	0.0720
30	773/1/2/2	0.0880
31	773/1/2/3	0.1040
32	773/1/2/4	0.1120
33	755/1	0.2780
34	755/2	0.0100
35	742/1	0.1040
36	742/2/1	0.0080
37	742/2/2	0.1200
38	742/3	0.0720
39	743/1	
40	743/2	0.0200
41	687	0.0270
42	734/1	0.3240
43	740	0.0380
44	737/1	
45	737/2	0.1260
46	738	0.0180
47	680	0.2460
48	681/1	0.0250
49	681/2	0.0500
50	681/3	0.0500

51	681/4	0.0500
52	672	0.0320
53	673	0.4580
54	663	0.2160
55	662/1	0.0950
56	669	0.0640
57	664	0.0400
58	665	0.1310
59	666	0.0760
60	661/1/3	0.0060
61	808	0.0260
62	809	0.0800
63	810	0.3500
64	810/1046	0.2730
65	856	0.0560
66	870	0.2560
67	857/2/2	0.0060
68	857/2/3	0.0600
69	863	0.1800
70	864	0.0100
71	865/1	0.0760
72	865/2	
73	865/3	
74	868/1/1/1	0.1260
75	868/1/1/2	
76	868/1/1/3	
77	868/1/2/1/1	
78	868/1/2/1/2	
79	868/1/2/2/1	
80	868/1/2/2/2	

81	867/1	0.0880
82	867/2	0.0800
83	867/3	0.0720
84	869/1037/1/1	0.1240
85	869/1037/2/2	
86	869/1037/1/3	0.0460
87	877	0.0020
88	878	0.0560
89	874/1	0.3380
90	908	0.0020
91	898/1	0.2400
92	898/2	0.0300
93	906	0.0880
94	904	0.0730
निजी खाता भूमि योग रकवा - 8.1760 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 722-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - चिरहुली 142

(घ) क्षेत्रफल- 4.7730हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	42/1/1	0.0360
2	44/1	0.0270
3	44/2/1/1	0.0150
4	44/2/1/2	0.0150
5	44/2/2	0.0870
6	43/1	0.0860
7	43/2	0.0420
8	41/2/1	0.0040
9	45/2/2/1	0.0650
10	46/1/1	0.0810
11	46/2/1/1	0.0810
12	46/2/1/2	0.0810
13	46/2/2/1	0.0410
14	46/2/2/2	0.0400
15	48/1	0.0780
16	48/2	0.0650
17	48/3	0.0650
18	48/4	0.0650

19	89/2	0.0200
20	90/1/1	0.0500
21	90/1/4	0.0500
22	90/2	0.1020
23	91/1	0.1000
24	91/2	0.1010
25	94	0.0370
26	95	0.9070
27	96	0.0730
28	196/1	0.0040
29	196/2	0.0100
30	197/1	0.0030
31	197/2	0.2470
32	197/3	0.0100
33	198/1	0.0020
34	198/2	0.3720
35	209/1	0.2300
36	202/1	0.2270
37	202/2/1	0.0400
38	202/2/2	0.0350
39	204/2/1	0.0020
40	205/1	0.0800
41	205/2	0.0820
42	205/3	0.0800
43	206	0.1980
44	216	0.0020
45	217	0.0580
46	218	0.2440

47	219	0.2040
48	220	0.1730
49	221	0.0560
निजी खाता भूमि योग रकबा - 4.7730 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 723-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- कोठी
- (ग) नगर /ग्राम - खड़ौरा
- (घ) क्षेत्रफल- 1.3850 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	3/1/1/1	0.1920
2	3/1/1/2	0.1020
3	3/1/2	0.2300
4	3/2	0.5800
5	2	0.1570
6	26/1	0.0540
7	25	0.0020
8	30/1	0.0680
निजी खाता भूमि योग रकबा - 1.3850 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 724-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - पैकोरी

(घ) क्षेत्रफल- 0.4590हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	356/2	0.0690
2	356/3	0.1100
3	356/4	0.1920
4	348/1	0.0840
5	355/2	0.0040
निजी खाता भूमि योग रकबा - 0.4590हे०		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 725-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम - खड़ौरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.5790हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	25	0.3360
2	26/1	0.1160
3	26/2	0.0070
4	27/1	0.0760
5	27/2	0.0440
निजी खाता भूमि योग रकबा - 0.5790हे०		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131) टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 117-भू-अर्जन-24

देवास, दिनांक 22 फरवरी 2024

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण	0.0360 हैक्टेयर	--	0.0360 हैक्टेयर

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रहीस पिता इन्दूस खां निवासी ग्राम कृषक देवसिराल्या	210/2	1.4500 हैक्टेयर	0	1.4500 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
कुल प्रभावित रकबा								0.0360 है.

क्र. 122-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्बहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम-भण्डारिया, तहसील सतवास जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण	0.0720 हैक्टेयर	--	0.0720 हैक्टेयर

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्बहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जागेश्वर केदार राधेश्याम पिता हजारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास	324/1	0.8600 हैक्टेयर	0	0.8600 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
2	भूजराम पिता मयाराम निवासी ग्राम कृषक भण्डारिया तहसील सतवास	332	2.7000 हैक्टेयर	0	2.7000 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
कुल अर्जित रकबा								0.0720 है.

क्र. 127-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम-कन्नौद, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- कन्नौद, तहसील कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	0.0360 हैक्टेयर	--	0.0360 हैक्टेयर

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- कन्नौद, तहसील कन्नौद

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनीष पिता वल्लभदास जाति महाजन निवासी कन्नौद	271/1	1.6640 हैक्टेयर	0	1.6640 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
कुल अर्जित रकबा								0.0360 हैं.

क्र. 132-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम किलोदा-पी, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- किलोदा-पी, तहसील कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	0.0360 हैक्टेयर	--	0.0360 हैक्टेयर

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम किलोदा-पी, तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- किलोदा-पी, तहसील कन्नौद

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामभरोस पिता गोरधन निवासी ग्राम भूमिस्वामी किलोदा-पी तहसील कन्नौद	58	4.8300 हैक्टेयर	0	4.8300 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
कुल प्रभावित रकबा								0.0360 हैं.

क्र. 137-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम-बुरुट, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- बुरुट, तहसील कन्नौद जिला देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	0.0360 हैक्टेयर	--	0.0360 हैक्टेयर

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I&II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बुरुट तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- बुरुट, तहसील कन्नौद जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवीलाल पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी बुरुट तहसील कन्नौद जिला देवास	366	2.5100 हैक्टेयर	0	2.5100 हैक्टेयर	0.0360 हैक्टेयर	0	0.0360 हैक्टेयर
कुल अर्जित रकबा								0.0360 हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1239-रीडर-1-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 फरवरी 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- टेमनीखुर्द प0ह0न-7/23 ब.न.-19 रा.नि.मं.-सावरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	308/3	0.100
2	308	0.255
	योग :-	कुल रकबा-0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पठरा खोकर जलाशय क्रमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-मोहखेड, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 1249-रीडर-1-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- पठरा खोकर प0ह0न-8/25 ब.न.-309 रा.नि.मं.-सावरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	2	0.150
2	5/1/2	0.150
3	5/2	0.330
4	7/1	0.210
5	3/1	0.030
6	7/2	02.214
7	9/2	0.420
8	7/3	0.820
9	7/4	0.535
10	19/1/4	0.045

11	185/6	0.403
12	186/2	0.091
13	186/3	0.429
14	188/2	0.405
15	7/5	0.200
16	185/4	0.431
17	188/5	0.404
18	183/5	0.428
19	186/6	0.091
20	8	0.733
21	186/1	01.288
22	172/2	0.090
23	175	0.243
24	176/1	0.142
25	178/2	0.526
26	183/2	0.417
27	176/9	0.040
28	173/1	0.526
29	183/1	0.485
30	177/2/1	0.100
31	177/2/2	0.050
32	177/2/3	0.030
33	177/3/1	0.450
34	177/3/2	0.607
35	182/2	0.020
36	177/3/3	0.606
37	182/3	0.095

38	179 /	0.182
39	190/1	3.197
40	184/1	0.369
41	184/2	0.369
42	188/1	0.405
43	184/3	0.369
44	188/3	0.182 /
45	184/4	0.369 /
46	189/4	0.186
47	185/1	0.030 /
48	185/2	0.304 /
49	185/3	0.304
50	185/5	0.090 /
51	187	01.129 /
52	189/1	0.101 /
53	189/2	0.295 /
54	190/2	0.809 /
55	191/2	01.518 /
	योग :-	कुल रकबा—24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पटरा खोकर जलाशय क्रमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील— मोहखेड, जिला—छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 1250-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- हतलेवा प0ह0न-7/23 ब.न.-595 रा.नि.मं.-सावरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित क्रसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	69/1	01.350
2	69/2/1	0.980
3	69/2/2	0.530
4	72/1	01.327
5	73	0.214
6	74	0.251
7	78/7	02.500
8	72/2	0.405
9	73/3	0.500
10	78/5	0.405

11	79/2	0.324
12	78/1	02.840
13	78/2	0.900
14	78/4	01.416
15	78/8	0.450
	योग :-	कुल रकबा-14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां :

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पठरा खोकर जलाशय क्रमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-मोहखेड, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र.-आर.डी.एम.-2024-426

शहडोल, दिनांक 13 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का संशोधन क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 12 जनवरी 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :-

एक- नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा

दो- सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते हैं।

पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	ग्राम/स्थानीय क्षेत्र का नाम	पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है।
1	2	3
थाना सिंहपुर, जिला शहडोल	1 कोदवार कला	थाना खैरहा, जिला शहडोल
	2 हरदी-32	
	3 पिपरिया	
	4 भोदलखांड	
	5 मढ़वा	
थाना पपौध, जिला शहडोल	1 मैर	थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल
	2 दाल	
	3 खरहरा	
थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल	1 आमडीह	थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल
	2 झिरिया	
थाना सीधी, जिला शहडोल	1 कीट	थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल
	2 मटोहर	
थाना देवलौद, जिला शहडोल	1 बोकरा-बोकरी	थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल
	2 टाघर	
	3 करही	
	4 करहिया	
	5 ढेका	
थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल	1 ग्राम खैरा-हरिजन मोहल्ला	थाना पपौध, जिला शहडोल
थाना बुढ़ार, जिला शहडोल	1 खैरी	थाना गोहपारू, जिला शहडोल
	2 कनवाही	
	3 धुरियाडोल	
	4 गुढ़ा	
	5 अकला	
	6 दुधरिया	
	7 लफदा	

थाना बुढ़ार, जिला शहडोल	1	रूगटा तिराहा	थाना अमलाई, जिला शहडोल
चौकी केशवाही, जिला शहडोल	1	अतरिया	थाना अमलाई, जिला शहडोल
	2	खमरौघ	
	3	चाका	
	4	गिरवा	
	5	देवरी	
	6	अमलाई	
	7	ढोलकू	
	8	पड़रिया	
चौकी झीकबिजुरी, जिला शहडोल	1	कुम्हारी	चौकी केशवाही, जिला शहडोल
	2	पकरिहा	
	3	कोटा	
	4	कोपरा	
	5	तराईडोल	
	6	रूपौला	
	7	चितरौडी	
	8	सेमरिहिया टोला	
	9	कुड्डी	
	10	सगरा	
	11	कुदराटोला	
चौकी दर्शिला, जिला शहडोल	1	टेंघा	चौकी केशवाही, जिला शहडोल
	2	बोडरीडोल	
	3	सरैहा	
चौकी दर्शिला, जिला शहडोल	1	ममरा	चौकी झीकबिजुरी, जिला शहडोल
	2	लोहासुर	
	3	टिकटी	
	4	कुटेला	

वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

क्र.-सां.लि.-2024-28

मण्डला, दिनांक 15 जनवरी 2024

म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मण्डला से प्राप्त पत्र क्रमांक/पुअ/मण्डला/एसी/सी/74/2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुसार जिले के थाना/चौकी में आने वाले गांव की दूरियां अधिक होने व उसी गांव की दूरी अन्य थाने के सीमा क्षेत्र के समीप होने के फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में ग्राम वासियों को अनावश्यक काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उक्त परेशानी का उल्लेख करते हुए थाना चौकियों की सीमाओं का पुनः परिमीमन कराया जाने हेतु लेख किया गया है।

पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के तारतम्य में जिले के समस्त थानों से जानकारी प्राप्त की गई। थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान थाना क्षेत्र की सीमा अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को जिनकी दूरी अधिक होने व अन्य थाना क्षेत्र की सीमा के समीप होने से उस थाने में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर तदाशय की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाना है।

अतः म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं एफ-2(क)/15/99/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11.10.2004 के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मैं डॉ. सलोनी सिडाना, जिला दण्डाधिकारी मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले के भीतर निम्नानुसार चौकियों की सीमा का निर्धारण करती हूँ।

क्रमांक	थाना/चौकी का नाम	ग्राम का नाम	थाना से दूरी	प्रस्तावित थाना का नाम	प्रस्तावित थाने से दूरी
1	थाना बम्हनी	सुभरिया माल	25 किमी	थाना महाराजपुर	15 किमी
2	थाना बम्हनी	सुभरिया वनग्राम	25 किमी	थाना महाराजपुर	16 किमी
3	थाना खटिया	बटवार	20 किमी	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	10 किमी
4	थाना मवई	झुंझर	62 किमी	चौकी सलवाह थाना घुघरी	15 किमी
5	थाना मवई	डुंडादेही	65 किमी	चौकी सलवाह थाना घुघरी	13 किमी
6	थाना मवई	घूरघुटी	65 किमी	चौकी सलवाह थाना घुघरी	13 किमी
7	थाना मवई	घोरघाट	62 किमी	चौकी सलवाह थाना घुघरी	15 किमी
8	थाना मवई	धनौली	60 किमी	चौकी सलवाह थाना घुघरी	16 किमी
9	थाना गोतीनाला	जमगांव	23 किमी	थाना मवई	22 किमी
10	थाना मोतीनाला	ढेका	26 किमी	थाना मवई	22 किमी
11	थाना मोतीनाला	सिमरिया	26 किमी	थाना मवई	22 किमी
12	थाना गोतीनाला	दरबरा	26 किमी	थाना मवई	20 किमी
13	थाना टिकरिया	सहजपुरी	30 किमी	थाना बीजाडाडी	22 किमी
14	थाना टिकरिया	तरवानी	35 किमी	थाना निवास	30 किमी
15	थाना टिकरिया	डोभी	35 किमी	थाना निवास	33 किमी
16	थाना बीजाडाडी	कवेलारी	45 किमी	थाना निवास	18 किमी
17	थाना मोहगांव	चिमकाटोला	35 किमी	थाना निवास	23 किमी
18	थाना मोहगांव	डुपटा	45 किमी	थाना निवास	35 किमी
19	थाना मोहगांव	धनगांव	43 किमी	थाना निवास	33 किमी
20	थाना मोहगांव	रगपुरी	38 किमी	थाना निवास	32 किमी
21	थाना मोहगांव	खारी	40 किमी	थाना निवास	30 किमी
22	थाना मोहगांव	बेरपानी	40 किमी	थाना निवास	30 किमी
23	थाना मोहगांव	पीपरपानी	40 किमी	थाना निवास	30 किमी
24	थाना मोहगांव	कडोपानी	43 किमी	थाना निवास	32 किमी
25	चौकी हिरदेनगर	डुडका	26 किमी	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	05 किमी
26	चौकी हिरदेनगर	खरझर	35 किमी	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	10 किमी
27	चौकी हिरदेनगर	बघरोडी	30 किमी	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	07 किमी
28	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	नारा	17 किमी	चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर	03 किमी
29	चौकी अंजनिया थाना बम्हनी	जमुनिया	18 किमी	चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर	02 किमी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2024

क्र. C-164-दो-2-114-2017.— श्री राजीव म. आपटे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 मई से 4 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र. C-234-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1569, दिनांक 1 मार्च 2023 निरस्त किया जाता है।

क्र. C-236-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-3487-इक्कीस-ब(एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवार्य (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार श्री शर्मा, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1.	अर्जित अवकाश	-	247
	अर्द्धवेतन अवकाश	-	53
			योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
 - (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 247 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
 - (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज = _____ x 53

में नगद भुगतान

30

क्र. C-243-दो-2-5-2023.— श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3-ए-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-245-दो-2-52-2023.— कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मन्दसौर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है,

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था, प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-250-दो-2-53-2005.— श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय खण्डवा को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है, शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-252-दो-2-16-2010.— श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है,

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-254-दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है,

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-257-दो-2-31-2022.-श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 30 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश मोहन प्रधान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-259-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-261-दो-2-59-2016.-श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है, अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-263-दो-3-53-2005.-श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्र-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-265-दो-2-73-2023.-श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. B-302-दो-2-67-2016.-श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 11 से 19 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है,

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,

क्र. B-304-दो-2-49-2021.—श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. B-306-दो-2-2-2023.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. B-308-दो-2-56-2022.—सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,

क्र. B-310-दो-2-23-2020.—श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है।

1. दिनांक 18 दिसम्बर 2023 का एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2023 का कुल दो दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 20 दिसम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. B-312-दो-2-29-2022.—श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. मूसा खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-314-दो-2-78-2021.—श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-317-दो-2-31-2021.—श्री प्रयाग लाल दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरोली मुख्यालय बैङ्कन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 2 जनवरी 2024

क्र.—अवकाश-2.— श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 28 से 31 अगस्त 2023 तक, चार दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)।

इन्दौर, दिनांक 6 जनवरी 2024

क्र.—अवकाश-34.— श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 13 से 22 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर अकाउंट्स के पद पर पदस्थ रहते।

क्र.—अवकाश-36.— श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर पदस्थ रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार।

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्र.—106—स्था.—2023.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2023 तक कुल, चार दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. C-1526-I-7-3-2023-(Part-I)

Jabalpur, the 8th February 2024

The following list of Holidays and Vacations for the District Judiciary during the Year 2024 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information :-

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
1.	New Year's Holiday	01.01.2024	Monday
2.	Makar Sankranti	15.01.2024	Monday
3.	Republic Day	26.01.2024	Friday
4.	Basant Panchami	14.02.2024	Wednesday
5.	Mahashivratri	08.03.2024	Friday
6.	Holi (Dhuredi)	25.03.2024	Monday
7.	Bhaidooj	26.03.2024	Tuesday
8.	Good Friday	29.03.2024	Friday
9.	Gudi Padwa/ Chaitichand	09.04.2024	Tuesday
10.	Id-UI-Fitar	11.04.2024	Thursday
11.	Ramnavmi	17.04.2024	Wednesday
12.	Buddh Purnima	23.05.2024	Thursday
13.	Id-UI-Zuha	17.06.2024	Monday
14.	Moharrum	17.07.2024	Wednesday
15.	Independence Day	15.08.2024	Thursday
16.	Raksha Bandhan	19.08.2024	Monday
17.	Janmashtmi	27.08.2024	Tuesday
18.	Ganesh Chaturthi	07.09.2024	Saturday
19.	Id-milad un-Nabi	16.09.2024	Monday

20. Gandhi Jayanti/ Sarv Pitra Moksha Amavasya	02.10.2024	Wednesday
21. Dussehra Holidays (12.10.2024 Dussehra) (Mahaashtami/ (Mahanavmi)	09.10.2024 10.10.2024 11.10.2024 12.10.2024	Wednesday Thursday Friday Saturday
22. Deepawali Holidays (28 th October to 02 nd November, 2024)	28.10.2024	Monday
Dhanteras	29.10.2024	Tuesday
Chhoti Diwali	30.10.2024	Wednesday
Deepawali	31.10.2024	Thursday
Govardhan Pooja (Included in Deepawali holidays)	01.11.2024 02.11.2024	Friday Saturday
23. Gurunanak Jayanti	15.11.2024	Friday
24. Christmas Day	25.12.2024	Wednesday

Total : 32 Days

NOTES :-

1. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14.04.2024, Mahaveer Jayanti dated 21.04.2024 & Bhaidooj dated 03.11.2024 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 20th January, 17th February, 16th March, 20th April, 18th May, 15th June, 20th July, 17th August, 21st September, 19th October, 16th November, 21st December will be closed Saturdays of District Judiciary.
3. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 3rd June, 2024 to 28th June, 2024 and Winter Vacation from 25th December, 2024 to 31st December, 2024.

4. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. Due to uncertainty relating to Id-Ul-Fitar, Id-Ul-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

By order of the High Court,
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

क्रमांक सी-1879-एक-7-3-2023 भाग-एक

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	06 जनवरी 2024	शनिवार
2	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	17 जनवरी 2024	बुधवार
3	हजरत अली का जन्म दिवस	23 जनवरी 2024	मंगलवार
4	देव नारायण जयंती	15 फरवरी 2024	गुरुवार
5	नर्मदा जयन्ती	16 फरवरी 2024	शुक्रवार
6	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2024	सोमवार
7	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	23 फरवरी 2024	शुक्रवार
8	शबरी जयन्ती	24 फरवरी 2024	शनिवार
9	शब-ए-बारात	26 फरवरी 2024	सोमवार
10	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	05 मार्च 2024	मंगलवार
11	टोडरमली जयन्ती	18 मार्च 2024	सोमवार
12	वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2024	बुधवार
13	भक्त माता कर्मा जयन्ती / जमात-उल-विदा	05 अप्रैल 2024	शुक्रवार

14	निषादराज जयन्ती	13 अप्रैल	2024	शनिवार
15	हाटकेश्वर जयन्ती	22 अप्रैल	2024	सोमवार
16	वल्लभाचार्य जयन्ती	04 मई	2024	शनिवार
17	अक्षय तृतीया	10 मई	2024	शुक्रवार
18	श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव	14 मई	2024	मंगलवार
19	केवट जयन्ती	15 मई	2024	बुधवार
20	माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस	31 मई	2024	शुक्रवार
21	बड़ा महादेव पूजन	20 जून	2024	गुरुवार
22	कबीर जयन्ती	22 जून	2024	शनिवार
23	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/ गदीर-ए-खुम	24 जून	2024	सोमवार
24	योम-ए-अशुरा	16 जुलाई	2024	मंगलवार
25	नागपंचमी/जनजातीय दिवस	09 अगस्त	2024	शुक्रवार
26	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त	2024	मंगलवार
27	नवाखाई	10 सितम्बर	2024	मंगलवार
28	तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी	13 सितम्बर	2024	शुक्रवार
29	विश्वकर्मा जयन्ती/अनंत चतुर्दशी	17 सितम्बर	2024	मंगलवार
30	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर	2024	बुधवार
31	प्राणनाथ जयन्ती	01 अक्टूबर	2024	मंगलवार
32	अग्रसेन जयन्ती	03 अक्टूबर	2024	गुरुवार
33	महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव	17 अक्टूबर	2024	गुरुवार
34	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	23 अक्टूबर	2024	बुधवार
35	छठ पूजा	07 नवम्बर	2024	गुरुवार
36	भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती	08 नवम्बर	2024	शुक्रवार
37	नामदेव जयन्ती	12 नवम्बर	2024	मंगलवार
38	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर	2024	शुक्रवार
39	विश्व विकलांग दिवस	03 दिसम्बर	2024	मंगलवार
40	क्रांतिसूर्य टट्या भील बलिदान दिवस	04 दिसम्बर	2024	बुधवार
41	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर	2024	बुधवार
42	महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती	27 दिसम्बर	2024	शुक्रवार
43	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर	2024	मंगलवार

(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं।

- (2) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
- (3) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे।

क्रमांक सी-1881-एक-7-3-2023 भाग-एक

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2024 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	06 जनवरी 2024	शनिवार
2	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	17 जनवरी 2024	बुधवार
3	हजरत अली का जन्म दिवस	23 जनवरी 2024	मंगलवार
4	देव नारायण जयन्ती	15 फरवरी 2024	गुरुवार
5	नर्मदा जयन्ती	16 फरवरी 2024	शुक्रवार
6	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2024	सोमवार
7	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	23 फरवरी 2024	शुक्रवार
8	शबरी जयन्ती	24 फरवरी 2024	शनिवार
9	शब-ए-बारात	26 फरवरी 2024	सोमवार
10	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	05 मार्च 2024	मंगलवार
11	टोडरमल जयन्ती	18 मार्च 2024	सोमवार
12	वीरांगना अवतिबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2024	बुधवार
13	भाईदूज	27 मार्च 2024	बुधवार
14	भक्त माता कर्मा जयन्ती/ जमात-उल-विदा	05 अप्रैल 2024	शुक्रवार
15	निषादराज जयन्ती	13 अप्रैल 2024	शनिवार
16	हाटकेश्वर जयन्ती	22 अप्रैल 2024	सोमवार
17	वल्लभाचार्य जयन्ती	04 मई 2024	शनिवार
18	अक्षय तृतीया	10 मई 2024	शुक्रवार
19	श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव	14 मई 2024	मंगलवार
20	केवट जयन्ती	15 मई 2024	बुधवार
21	माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस	31 मई 2024	शुक्रवार

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
22	बड़ा महादेव पूजन	20 जून 2024	गुरुवार
23	कबीर जयन्ती	22 जून 2024	शनिवार
24	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/ गदीर-ए-खुम	24 जून 2024	सोमवार
25	योम-ए-अशुरा	16 जुलाई 2024	मंगलवार
26	नागपंचमी / जनजातीय दिवस	09 अगस्त 2024	शुक्रवार
27	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2024	मंगलवार
28	नवाखाई	10 सितम्बर 2024	मंगलवार
29	तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी	13 सितम्बर 2024	शुक्रवार
30	डोलग्यारह	14 सितम्बर 2024	शनिवार
31	विश्वकर्मा जयन्ती / अनंत चतुर्दशी	17 सितम्बर 2024	मंगलवार
32	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2024	बुधवार
33	प्राणनाथ जयन्ती	01 अक्टूबर 2024	मंगलवार
34	अग्रसेन जयन्ती	03 अक्टूबर 2024	गुरुवार
35	महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती / टेंकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव	17 अक्टूबर 2024	गुरुवार
36	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	23 अक्टूबर 2024	बुधवार
37	छठ पूजा	07 नवम्बर 2024	गुरुवार
38	भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती	08 नवम्बर 2024	शुक्रवार
39	नामदेव जयन्ती	12 नवम्बर 2024	मंगलवार
40	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2024	शुक्रवार
41	विश्व विकलांग दिवस	03 दिसम्बर 2024	मंगलवार
42	क्रांतिसूर्य टट्ट्या भील बलिदान दिवस	04 दिसम्बर 2024	बुधवार
43	दत्तात्रय जयन्ती	14 दिसम्बर 2024	शनिवार
44	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2024	बुधवार
45	महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती	27 दिसम्बर 2024	शुक्रवार
46	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2024	मंगलवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं।
- (2) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.